कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा। पत्रांक २३५/ / 14-1(146255/2021),आगरा, दिनांक, २५ ,नवम्बर, 2022

सेवा में,

्रमुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :--

जनपद मथुरा में सीकर—II अलीगढ़ ट्रॉसिमशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) अलवर—राजस्थान के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर—II अलीगढ़ ट्रॉसिमशन लाईन के निर्माण हेतु जनपद मथुरा में अपर आगरा नहर मील—49 की दाँयी व बाँयी दोनों पटिरयों की 0.5293 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

सचिव, उ०प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2, लखनऊ की पंत्र संख्या—168 /81—2—2022—800(176)/2022, दिनांक 24.06.2022 एवं आपका पत्रांक 11—सी 3744 दि0 30.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव की उ०प्र० शासन के सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति सशर्त प्रदान की गई है। शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सिहत प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा के पत्रोंक 2348/14–1 दिनांक 21.11.2022 (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, के आधार पर अनुपालन आख्या निम्नवत् है :-

निम्न	वत् हे :-	
1-	Legal status of the Forest land shall remain unchanged.	बिन्दु संख्या–1 के अनुपालन में याचक विभाग विष्छ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़–सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर–राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक–1 के रूप में संलग्न है ।
2-	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over Degraded forest land with 10 years maintenance at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monocultures of any species may be avoided. No fast growing trees will be planted.	बिन्दु संख्या—2 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु मु0–4,62,740/— रू० की धनराशि जमा करायी गयी है जिसकी जमा ई—रसीद संलग्न—2 के रूप में संलग्न है।
3-	Plantation of dwarf species (preferable medicinal Plants) in ROW under Transmission line shall be taken up by Forest Department at the cost of User agency.	बिन्दु संख्या—3 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिङ अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेङ, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो मु0—5,60,560/— रू0 की धनराशि मेडिकल प्लान्टस वृक्षारोपण हेतु जमा करायी गयी है जिसकी जमा ई—रसीद संलग्न—2 के रूप में संलग्न है ।
4-	The complete compliance of FRA 2006 shall be ensured by the way of prescribed certiticate from the concerned District Collector.	बिन्दु संख्या—4 के अनुपालन में जिलाधिकारी, मथुरा के कार्यालय की पत्र संख्या—510/14—1, दिनांक 29.07.2022 के द्वारा जारी एफ0आर0ए0 प्रमाण—पत्र की प्रति जो संलग्नक—4 के रूप में संलग्न हैं।
5-	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	बिन्दु संख्या—5 के अनुपालन में यावक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरिग्रड अलीगढ़—सींकर ट्रान्समिशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—5 के रूप में संलग्न है।
6-	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through foest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05.05.2014 & 19.11.2014.	बिन्दु संख्या—6 के अनुपालन में यातक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लि0, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—6 के रूप में संलग्न है।
7-	The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection), 1986, if applicable.	बिन्दु संख्या—7 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्समिशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—7 के रूप में संलग्न है।

8-	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	पावरग्रिंड अलीगढ़-सीकर ट्रान्सामशन लिमिटंड, अलवर-राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक–8 के रूप में संलग्न है।
9-	No labour camp shall be established on the forest land.	पावरग्रिंड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमिशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—9 के रूप में संलग्न है ।
10-	Sufficient firewood, preferable the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department of the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate frul.	बिन्दु संख्या—10 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ—सींकर ट्रान्समिशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—10 के रूप में संलग्न है ।
11-	The boundary of the diverted foret land shall be suitable demarcated on ground at the project cost, As per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	बिन्दु संख्या–11 के अनुपालन में याचक विभाग विष्ठ महाप्रबन्धक, पावरिग्रेड अलीगद्द–शींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर–राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक–11 के रूप में संलग्न है ।
12-	No. additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the concerned Divisional Forest Officer.	बिन्दु संख्या–12 के अनुपालन में याचक विभाग विष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़–सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर–राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक–12 के रूप में संलग्न है ।
13-	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	बिन्दु संख्या—13 के अनुपाल। में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़-सीकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—13 के रूप में संलग्न है ।
14-	The Forest land shall nto be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	बिन्दु संख्या—14 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिङ अलीगढ़ सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेङ, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—14 के रूप में संलग्न हैं।
15-	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details.	बिन्दु संख्या—15 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—15 के रूप में संलग्न है ।
16-	The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the court orders provision rules regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.	बिन्दु संख्या—16 के अनुपालन में याचक विभाग परिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—16 के रूप में संलग्न है ।
17-	The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	बिन्दु संख्या—17 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—17 के रूप में संलग्न है ।
18-	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF& CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	बिन्दु संख्या—18 के अनुपालन में अवगत कराना है कि याचक विभाग विरष्ट महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर— राजस्थान के द्वारा कोई भी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उल्लंधन नहीं किया गया है । यदि उल्लंधन किया जाता है तो याचक विभाग के विरुद्ध दिए गए निर्देशों के कम में कार्यवाही की जायंगी । याचक विभाग विरष्ट महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण—पत्र की जो संलग्नक—18 है ।

19	- Any other condition that the Ministry of	बिन्दु संख्या—19 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ
	Environment, Forest & Climate Change may	महापूबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ-रोकिर ट्रान्समिशन लिमिटड,
	stipulate. From time to time in the interest of	अलवर-राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई
	conservation, protection and development	गयी है जो संलग्नक-19 के रूप में संलग्न है ।
	of forest & wildlife.	बिन्दु संख्या–20 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ
20	A COLUMN TO THE TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL	बिन्दु संख्या—20 के अनुपालन ने वायक विनास वार्य महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ—सींकर ट्रान्समिशन लिमिटेड,
	वेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे	अलवर-राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई
	सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को	गयी है जो संलग्नक-20 के रूप में संलग्न है ।
	क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन	191 6 311 (101 147 25
	रामादा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती	
	है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा	
	निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।	बिन्दु संख्या—21 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ
21		महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ-सींकर ट्रान्समिशन लिमिटेड,
	अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक	अलवर-राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई
	को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे । यदि प्रस्तावक	गयी है जो संलग्नक-21 के रूप में संलग्न है ।
	को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की	
	आगश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भा जो प्रस्तावक विभाग के लिए	
	आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भूगतान किये यथास्थिति वापस	
	प्राप्त हो जायेगी ।	
22-	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	बिन्दु संख्या—22 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ
22-	अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक	महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़ -सीकर ट्रान्समिशन लिमिटेड,
	समझें प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार	अलवर-राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई
	होगां।	गयी है जो संलग्नक-22 के रूप में संलग्न है ।
23-	प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि	बिन्दु संख्या—23 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ
25	यदि एन०पी०वी० की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि	महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़ – सीकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड,
	होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा, से सम्बन्धित	अलवर-राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई
	वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाये ।	गयी है जो संलग्नक—23 के रूप में संलग्न है ।
24-	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007एफसी (पीटी)	बिन्दु संख्या—24 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ
- '.	दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या—J-11013/41	महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़-सींकर ट्रान्समिशन लिमिटेड,
	/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार	अलवर-राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई
	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह	गयी है जो संलग्नक-24 के रूप में संलग्न है ।
	सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू हैं तो (if	
	applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से	
	पर्यावरणीय अनापिता/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की	
	दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ	·
	वाइलंड लाइफ से अनुमोदन अलग — अलग प्राप्त कर	
	लिया जायेगा ।	
25-	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित	बिन्दु संख्या—25 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ
	है, तो उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त	महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड,
	करने की कार्यवाही कर लिया जायेगा ।	अलवर-राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई
		गयी है जो संलग्नक—25 के रूप में संलग्न है ।
26-	समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अनापित्त प्राप्त करने के	बिन्दु संख्या—26 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ
	उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।	महाप्रबन्धक, पावरग्रिंड अलीगढ-रोकिर ट्रान्समिशन लिमिटेड.
		अलवर-राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई
		गया है जो सलग्नक—26 के रूप में संलग्न है ।
27-	प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व	बिन्दु संख्या—27 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ
	वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति	महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़-र्शीकर ट्रान्समिशन लिमिटेड,
	प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता	अलवर-राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई
	प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाये ।	गयी है जो संलग्नक—27 के रूप में संलग्न है ।
28-	मुख्य वन संरक्ष्क/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ	बिन्दु संख्या—28 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ
	द्वारा वर्णित प्रकरण से सम्बन्धित उपरोक्त	महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़-सोंकर ट्रान्समिशन लिमिटेड,
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	शर्ते / प्रतिबन्धों (Terms & Conditions) के अनुपालन	अलवर-राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई
	के सम्बन्ध में अपनी सत्यापन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।	गया ह जा सलग्नक—28 के रूप में संलग्न है ।
29-		10.1 miles 1.1 m
	ं गार मनारात प्यवस्था क अधान शुद्ध वतमान मृत्य	बिन्दु संख्या—29 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ट
	(एन0पी0वी0) की देयता के सम्बन्ध में भारत सरकार	महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़-सींकर ट्रान्समिशन लिमिटेड,
	द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 06.01.2022 एवं संशोधित	अलवर-राजस्थान के द्वारा भारत सरकार के आदेश दिनांक 06.
	आरेश दिनांक 19.01.2022 का अनुपालन प्रस्तावक	01.2022 के द्वारा निर्धारित एन०पी०वी० की ईको क्लास—।।। दर
	किया जायेगा ।	मु0–957780 प्रति है0 की दर से गणना के पश्चात्
		मु0–5,06,953 / – की धनराशि जगा करायी गयी है जिसकी
-		जमा ई-रसीद संलग्न-2 के रूप में संलग्न है ।
30-	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र	बिन्दु संख्या—30 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ
	सरकार / राज्य सरकार / मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये	महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़-सींकर ट्रान्समिशन लिमिटेड,
	निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया	अलवर–राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई
	जायेगा ।	गयी है जो संलग्नक-30 के रूप में संलग्न है ।

प्रस्ताव की शर्तों सम्बन्धित अभिलेख, वचनंबद्धता एवं प्रमाण पत्र 03-03 प्रतियों में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश चन्द्र) वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक

समदिनांकित ।

1- प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा को उनके पत्रांक 2348/14-1 दिनांक 21.11.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

्र्य प्रतिलिपि वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरिग्रेड अलीगढ़—सीकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश चन्द्र) वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,मथुरा । मथुरा, दिनांक 21/1/ .2022. पत्रांक 2348 /14-1

सेवा में,

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा

विषय :-

जनपद मथुरा में सीकर—II अलीगढ़ ट्रॉसिमशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वाभित्व वाली सहायक कम्पनी) अलवर-राजस्थान के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II अलीगढ़ ट्रॉसिंगिशन लाईन के निर्माण हेतु जनपद मथुरा में अपर आगरा नहर मील-49 की दाँयी व बाँयी दोनों पटरियों की 0.5293 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमित के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :-

1–सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ की पंत्र संख्या–168 /81-2-2022-800(176)/2022, दिनांक 24.06.2022

, . . . 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का

पत्रांक-11सी 3744-FP/UP/Trans/146255/2021, दिनांक 30.06.2022 1–इस कार्यालय की पत्र संख्या–153/14–1, दिनांक 12.07.2022

2-इस कार्यालय की पत्र संख्या-1679/14-1, दिनांक 12.10.2022

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के कम में आपको अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति महोदय, के उपरान्त वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर संशोधित अनुपालन आख्या चार—चार प्रतियों में इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है । जो आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

1-	Legal status of the Forest land shall remain	विन्दु संख्या–1 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़–सींकर ट्रान्समिशन
	unchanged.	लिमिटेड, अलवर-राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या
		उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है ।
2-	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over Degraded forest land with 10 years maintenance at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be);
3-	planted and monocultures of any species may be avoided. No fast growing trees will be planted. Plantation of dwarf species (preferable medicinal Plants) in ROW under Transmission line shall be taken up by Forest Department at the cost of User agency.	विन्दु संख्या—3 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो मु0—5,60,560/— रू० की धनराशि मेडिकल प्लान्टस वृक्षारोपण हेतु जमा
	,	करायी गयी है जिसकी जमा ई-रसीद सलग्न-2 के रूप में संलग्न है ।
4-	The complete compliance of FRA 2006 shall be ensured by the way of prescribed certiticate from the concerned District Collector.	बिन्दु संख्या–4 के अनुपालन में जिलाधिकारी, मथुरा के कार्यालय की पत्र संख्या–510/14–1, दिनांक 29.07.2022 के द्वारा जारी एफ0आर०ए० प्रमाण–पत्र की प्रति जो संलग्नक–4 के रूप में संलग्न है ।
5-	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	बिन्दु संख्या–5 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरिग्रेड अलीगढ़–सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर–राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक–5 के रूप में संलग्न है।

Com-1/land transfer/ folder-2/649 | Page

	The User Agency shall comply with the	विन्दु संख्या–6 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ट
6-	guidelines for laying through foest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05.05.2014 & 10.11.2014.	महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़–सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर–राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक–6 के रूप में संलग्न है ।
7-	The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection), 1986, if applicable.	विन्दु संख्या–7 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़–सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर–राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक–7 के रूप में संलग्न है ।
8-	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	विन्दु संख्या—8 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—8 के रूप में संलग्न है ।
9-	No labour camp shall be established on the forest land.	विन्दु संख्या—9 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—9 के रूप में संलग्न है ।
10-	Sufficient firewood, preferable the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department of the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate frul.	विन्दु संख्या—10 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—10 के रूप में संलग्न है ।
11-	c.i. I wated forst land shall	विन्दु संख्या–11 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़–सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर–राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक–11 के रूप में संलग्न है ।
12-	No. additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the concerned Divisional Forest Officer.	विन्दु संख्या—12 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—12 के रूप में संलग्न है ।
13-	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	विन्दु संख्या—13 के अनुपालन में याचक विभाग विरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—13 के रूप में संलग्न
14-	The Forest land shall nto be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	विन्दु संख्या—14 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—14 के रूप में संलग्न है ।

4	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the edgreen watch portal with all requisite details.	ते तिमिटेड, अलवर-राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक-15 के रूप में संलग्न
10	6- The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the court order provision rules regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.	तिमिटेड, अलवर–राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक–16 के रूप में संलग्न है ।
15	other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	महाप्रवन्धक, पावरिग्रेड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो सलग्नक—17 के रूप में सलग्न है ।
18	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF& CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	े विभाग वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर
19-	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate. From time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	
20-	वेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षित नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षित पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर वाध्यकारी होगा।	विन्दु संख्या—20 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन
21-	उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अविध के अन्दर तव तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे । यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भा जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ०प्र० सरकार को विना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी ।	विन्दु संख्या—21 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—21 के रूप में संलग्न है ।
Com-	1/land transfer/ folder-2/ 651 Page	

अभिकतीओं को विभाग ने पार के पार के प्राचन प्रमान प्रमान वनर्मूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। प्रमान वनर्मूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। कि पिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुमालन आ प्रपान करने के प्रमान किया जायेगा से सम्बन्धित वनन्मूमि का निरीक्षण करने के प्रमान किया जायेगा । विन्दु संख्या—23 के अनुमालन में याचक विभाग को विभाग को कार्य प्रारम करने से पूर्व यह सम्बन्ध कराई गयी है जो संलग्नक—23 के रूप में संल है । विन्दु संख्या—24 के अनुमालन में याचक विभाग को अधिकार प्रमान करने से पूर्व यह सुनिर्श्चिक करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू हैं तो (11 applicable), कार्य प्रसान करने के पूर्व सक्षम रक्ष से प्रमुनीवन तथा वन्य जीव की दृष्ट से संविद्ध कार्य प्रारम करने के पूर्व सक्षम रक्ष से अनुमालन अपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—24 के रूप में संल प्रमुविश्च करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू हैं तो (11 applicable), कार्य प्रसान करने के पूर्व सक्षम रक्ष से प्रमुनीवन तथा वन्य जीव की दृष्ट से संविद्ध कार्य प्रमुनीवन तथा वन्य जीव की दृष्ट से संविद्ध कार्य प्रमुनीवन तथा वन्य जीव की दृष्ट से संविद्ध कार्य प्रमुनीवन तथा वन्य जीव की दृष्ट से संविद्ध कार्य प्रमुनीवन अलग आपला कर लिया जायेगा । 25 विष्य प्रमुनावन भूमि सेन्दुरी/नेशनल पार्क में समिलित है, तो उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने के कार्यवाही कर लिया जायेगा । 26 समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—25 के रूप में संल है । 27 प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वन्मूमि के भू—स्वामित्व वाले विभाग से कार्य अतम्बन्ध करान होगा, से सम्बन्धित वयनबद्धता प्रमुन-पत्र अत्वर प्रमुनावन के द्वारा जो अनुपालन आ उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—27 के रूप में संल है । 28 मुख्य वन संरक्क/नोडल अधिकारी, उठप्रत लयनक किया कर्ष महाप्रत्यक, प्रावरिष्ठ अलीगढ़—सींकर द्वान्य कर्त प्रमीव है जो संलग्नक—27 के रूप में संल है । 28 मुख्य वन संरक्क/नोडल अधिकारी, उठप्रत लयनक क्रियाच कराई गयी है जो संलग्क—27 के रूप में संल महाप्रत्यक, प्रावरिक्ष अत्यर में साच्यक विभाग विष्त प्रमुव कराई गयी है जो संलग्नक—27 के रूप में संल महाप्रत्यक, प्रावरिक्ष अलीगढ़—सींकर द्वान्य महाप्रत्यक, प्रावरिक्ष अत्यर स्वान्य में साच्यक विभाग विष्त प्रमुव कराई गयी है जो संलग्नक—27	-		वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके	विन्दु संख्या—22 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ
यदि एनण्णेविविध की धनशार ने इस आयोग से सम्बन्धित होती है तो इसका पुगतान किया जायेगा । 24- भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3/2007एफसी (पीटी) दिनंक 1908.2010 तथा पत्र संख्या—5—11013/41 /2006-1A—11(1), दिनंक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रसावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (म applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समा स्तर से पर्यावरणीय अनापति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की हिट से संदेशित करेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग— अलग प्राप्त कर लिया जायेगा । 25- यदि प्रमन्तत वृत्ति सेन्दुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलत है, तो उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर लिया जायेगा । 26- समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । 26- समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । 27- प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनमृति के भू—स्वानित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापति प्राप्त करने है । विन्दु संख्या—26 के अनुपालन में यावक विभाग विन्दा संस्था कराई गयी है जो संलग्नक—26 के रूप में संल है । 27- प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनमृति के भू—स्वानित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापति प्राप्त कराई गयी है जो संलग्नक—26 के रूप में संल है । 27- प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनमृति के भू—स्वानित्व वाले विभाग से कार्य अरम्भ करने के पूर्व अनापति प्राप्त कराई गयी है जो संलग्नक—26 के रूप में संल है । 28- मुख्य वन संरक्ष्क/नोडल अधिकारी, उठप्रठ लखनक होता विभेद अलगावन में यावक विभाग विनापन आयोगित प्रकरण से सम्बन्धित वयनवद्धता (विभेद, अतवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आयोगित प्रकरण में सम्बन्धित वयनवद्धता (विभेद, अतवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आयोगित प्रकरण में सम्बन्धित वयनवद्धता (विभेद, अतवर—राजस्थान में द्वारा जो अनुपालन आयोगित प्रकरण में सम्बन्धित वयनवद्धता (विभेद, अतवर—राजस्थान में द्वारा जो अनुपालन आयोगित प्रकरण में सम्बन्धित वयनवद्धता (विभेद, अतवर—राजस्थान में द्वारा जो अनुपालन आयोगित प्रकरण में संल्या विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग सम्बन्धित वयनवद्धता (विभाग के अनुपालन में यावक विभाग विभ	12	-	अभिकर्ताओं को किसा सा साम जाय ये जायरपक समझ प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।	लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—22 के रूप में संलग्न है ।
दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या—3-11013/41 /2006-IA—II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रास्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू हैं तो (Ir applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति / अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल वोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग— अलग प्राप्त कर लिया जायेगा 25- यदि प्रश्नगत भूमि सेन्युरी / नेशनल पार्क में सिम्मिलत है, तो उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर लिया जायेगा 26- समस्त वैद्यानिक / प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त हो कार्य प्रारम्भ किया जायेगा 26- समस्त वैद्यानिक / प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त हो कार्य प्रारम्भ किया जायेगा 27- प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू—स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्राप्त करने हे विन्दु संख्या—27 के अनुपालन में याचक विभाग विमान्त आर्य उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—26 के रूप में संल है 27- प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू—स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्राप्त करना होगा, से सम्बन्धित वयनवद्धता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होगा, से सम्बन्धित वयनवद्धता प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराया जाये 28- मुख्य वन संरक्ष / नोडल अधिकार, उ०प्र लखनक होश विन्दु संख्या—28 के अनुपालन में याचक विभाग विन्दु संख्या—28 के अनुपालन में संल है	23	3-	यदि एन०पी०वी० की धनराश न इस अवाय में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाये ।	विन्दु संख्या—23 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—23 के रूप में संलग्न है ।
है, तो उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर लिया जायेगा । 26- समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापित प्राप्त करने के उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक-25 के रूप में संल है । 27- प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापित प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा, से सम्बन्धित वचनवद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाये । 28- मुख्य वन संरक्ष्क/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ हारा वर्णित प्रकरण से सम्बन्धित उपरांवत श्री/प्रतिबन्धों (Terms & Conditions) के अनुपालन में याचक विभाग विमार वर्षिते कराया जाये । 28- पुख्य वन संरक्ष्क/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ हारा वर्णित प्रकरण से सम्बन्धित उपरांवत सम्प्रवन्धक, पावरप्रिङ अलीगढ़-सींकर ट्रान्सिम लिमिटेड, अलवर-राजस्थान के ह्वारा जो अनुपालन आर उपलब्ध कराया जाये । 28- पुख्य वन संरक्ष्क/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ हारा वर्णित प्रकरण से सम्बन्धित उपरांवत सम्प्रवन्धक, पावरप्रिङ अलीगढ़-सींकर ट्रान्सिम सम्प्रवन्धक, पावरप्रिङ अलीगढ़-सींकर ट्रान्सिम सम्प्रवन्धक, पावरप्रिङ अलीगढ़-सींकर ट्रान्सिम सम्प्रवन्धक, पावरप्रिङ अलीगढ़-सींकर ट्रान्सिम का सम्प्रवन्धक, पावरप्रिङ अलीगढ़-सींकर ट्रान्सिम सम्प्रवन्धक, पावरप्रिङ अलीगढ़-सींकर ट्रान्सिम सम्प्रवन्धक, पावरप्रिङ अलीगढ़-सींकर ट्रान्सिम	24	1-	दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या—J-11013/41 /2006-IA—II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू हैं तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति / अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल वोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग— अलग प्राप्त कर लिया जायेगा ।	
उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । यान ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । महाप्रवन्धक, पावरग्रिङ अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमः लिमिटेङ, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आर उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—26 के रूप में संल है । याने विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापित्त प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराया जाये । विन्दु संख्या—27 के अनुपालन में याचक विभाग विन्दिङ, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आर उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—27 के रूप में संल है । विन्दु संख्या—28 के अनुपालन में याचक विभाग विन्दिश्त विभाग विन्दु संख्या—28 के अनुपालन में याचक विभाग विन्दु संख्या—28 के अनुपालन के द्वारा जो अनुपालन के हारा जो अनुपालन आर उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—27 के रूप में संल	2:	5-	है, तो उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त	महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—25 के रूप में संलग्न
वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापित्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा, से सम्बन्धित वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा, से सम्बन्धित वचनवद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाये । 28- मुख्य वन संरक्ष्क/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वर्णित प्रकरण से सम्बन्धित उपरोक्त महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़-सींकर ट्रान्सिमः है । 28- मुख्य वन संरक्ष्क/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वर्णित प्रकरण से सम्बन्धित उपरोक्त महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़-सींकर ट्रान्सिमः शर्ति/प्रतिबन्धों (Terms & Conditions) के अनुपालन में याचक विभाग वर्षित प्रतिपत्रित अनुपालन में याचक विभाग वर्षित प्रतिपत्र अधिकारी प्रतिपत्र अनुपालन में याचक विभाग वर्षित प्रतिपत्र अपनित्र अपनित्र अपनित्र प्रतिपत्र अनुपालन में याचक विभाग वर्षित प्रतिपत्र अपनित्र				लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—26 के रूप में संलग्न
द्वारा वर्णित प्रकरण से सम्बन्धित उपरोक्त महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिनः शर्ते/प्रतिबन्धों (Terms & Conditions) के अनुपालन निर्मारिन अनुपालन ने कार्यान्त कर्णि			वालं विभागं से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाये ।	विन्दु संख्या—27 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—27 के रूप में संलग्न है ।
के सम्बन्ध में अपनी सत्यापन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—28 के रूप में संल करायी जायेगी ।	28	3-	क्षांत वाणत प्रकरण से सम्बन्धित उपरोक्त शर्ते / प्रतिबन्धों (Terms & Conditions) के अनुपालन के सम्बन्ध में अपनी सत्यापन रिपोर्ट शासन को सम्बन्ध	विन्दु संख्या—28 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रवन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—28 के रूप में संलग्न है ।

सम्प्रति प्रचलित् व्यवस्था के अधीन शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की देयता के सम्बन्ध में भारत सरकार (४७०४१०४१०) द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक ०६.०१.२०२२ एवं संशोधित आदेश दिनांक 19.01.2022 का अनुपालन प्रस्तावक किया जायेगा ।

बिन्दु संख्या—29 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ पावरग्रिड अलीगढ़-सींकर ट्रान्सिमशन महाप्रबन्धक, लिमिटेड, अलवर-राजस्थान के द्वारा भारत सरकार के आदेश दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 की ईको क्लास–III दर मु0–957780 प्रति है0 की दर से गणना के पश्चात् मु0–5,06,953/– की धनराशि जमा करायी गयी है जिसकी जमा ई-रसीद संलग्न-2 के रूप में संलग्न है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त समय—समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा ।

विन्दु संख्या–30 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ट महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़-सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर-राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक-30 के रूप में संलग्न

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय.

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग. ₩ मथुरा ।

पत्रांक <u>२३५८ /१५</u> दिनांकित । 1- प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को संदर्भित पत्रों के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

2– प्रतिलिपि वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्समिशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय निर्देशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा। मथुराः दिनांकः 21/11/ पत्रॉक 2347 /14-1

सेवा में,

वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।

विषय :-

जनपद मथुरा में सीकर—11 अलीगढ़ ट्रॉसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) अलवर—राजस्थान के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर—II अलीगढ़ ट्रॉसिमेशन लाईन के निर्माण हेतु जनपद मथुरा में अपर आगरा नहर मील-49 की दाँयी व बाँयी अलागुष् अराजारा निक्र पारा व वाया व बाया दोनों पटरियों की 0.5293 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमित के सम्बन्ध में

सन्दर्भ :-

1–इस कार्यालय की पत्र संख्या–1679/14–1, दिनांक 12.10.2022

2—आपके कार्यालय का पत्रांक—1865 / 14—1 (146255 / 2021) दिनांक 25.10.2022

महोदय,

क्रारोजन संदर्भित पत्र के कम में बिन्द्वार संशोधित आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है :--

1013	उपरोक्त सदाभत पत्र के करा न पर पुनार सरामन	
4	प्रस्ताव की शर्त संख्या–2, 3 एवं 29 त्रुटिरहित अंकित	विन्दं सर्था—७ ३ एवं २९ का श्रेट्सहरा रात जाकरा करता हुए।
1.	प्रस्ताव की शत संख्या 2, 3 र 1 20 3	उसके सम्मुख अनुपालन आख्या का विवरण अंकित कर दिया
"	की गई हैं, त्रुटिरहित शर्ते अंकित करें ।	0114 11 34 9131111
		गया है ।
	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० की	वांछित ई-पेमेन्ट हिस्ट्री प्रति संलग्न है ।
2.	प्रस्ताव में क्षातपूरक पृथारात्र ए राज्य के प्राचित्र पर्ह प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा कराई गई	
-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कम्पा फण्ड न जना पराइ गई	
	विगीत ई-पेमेन्ट हिस्ट्री की प्रति संलग्न नहीं की गई है ।	
	1080 ch 1300 th	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन सम्बन्धी प्रभागीय
3.	प्रस्ताव में वन सरक्षण आधानवन, 1900 के उरराना	
1	सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक, का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट	निवस्तिक की स्वराव राखान में मान अंगा निवस्तिक विवस्तिक व
	गंजान नहीं है ।	
	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ	वांछित सूचना ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है ।
4.	प्रधान मुख्य वन सर्वाप जार विमा तन्या, क्लान पर	ι.
T _a	के पत्रांक-1398/11-सी दिनांक 17.10.2022 द्वारा दिए	
	गए निर्देशों के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की	
	बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्धारित	
9	प्रपत्र में सम्बन्धित अभिलेखों, वचनबद्धता प्रमाण-पत्र	
	प्रपत्र म सम्बन्धत आनलखा, पयनपद्धता प्रमान मन	
	/स्थलीय प्रमाण-पत्र सहित प्रयोक्ता अभिकरण एवं	
	प्रभागीय निदेशक के कवरिंग लेटर सहित परिवेश पोर्टल	
	पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए पुष्टि हेतु सम्बन्धित	
	44 allicità i adello della 21 21 a 63 " " "	
	अभिलेख भी संलग्न करें ।	

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,मथुरा । पत्रांक / १५२ मथुरा, दिनांक १२/१०/ .2022.

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा

विषय:- जनपद मथरा में सी

जनपद मथुरा में सीकर—II अलीगढ़ ट्रॉसिमशन लिमिटेड (पावर ग्रिंड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) अलवर—राजस्थान के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर—II अलीगढ़ ट्रॉसिमशन लाईन के निर्माण हेतु जनपद मथुरा में अपर आगरा नहर मील—49 की दाँयी व बाँयी दोनों पटिरयों की

0.5293 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमित के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- 1-सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ की पंत्र संख्या-168 /81-2-2022-800(176)/2022, दिनांक 24.06.2022

2—मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का

पत्रांक-11सी 3744-FP/UP/Trans/146255/2021, दिनांक 30.06.2022

1-इस कार्यालय की पत्र संख्या-153/14-1, दिनांक 12.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के कम में आपको अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त विषय महाप्रबन्धक, पावरिग्रेड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या छः—छः प्रतियों में इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है । जो आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

1-	Legal status of the Forest land shall remain unchanged.	बिन्दु संख्या—1 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—1 के रूप में संलग्न है ।
2-	बिन्दु संख्या—2 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण तथा उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण हेतु मु0—4,62,740/— रू० की धनराशि की चालान जनरेट कर कैम्मा निधि में जमा कर उसका ई—चालान की रसीद इस कार्यालय में प्रमाणित करते हुए छः प्रतियों में उपलब्ध करायी जाय ।	महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ-सींकर टान्सिमशन
3-	बिन्दु संख्या—3 के अनुपालन में विद्युत लाईन के नीचे रिक्त स्थान पर रोपण तथा उसके 10 वर्ष के अनुरक्षण हेतु मु0—5,60,560/— रू० की धनराशि का चालान जनरेट कर कैम्पा निधि में जमा कराकर उसका ई—चालान की रसीद छः प्रतियों में इस कार्यालय में प्रमाणित करते हुए उपलब्ध करायी जाय ।	बिन्दु संख्या–3 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़–सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर–राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक–3 के रूप में संलग्न है ।
4-	The complete compliance of FRA 2006 shall be ensured by the way of prescribed certiticate from the concerned District Collector.	बिन्दु संख्या—4 के अनुपालन में जिलाधिकारी, मथुरा के कार्यालय की पत्र संख्या—510/14—1, दिनांक 29.07.2022 के द्वारा जारी एफ0आर0ए0 प्रमाण—पत्र की प्रति जो संलग्नक—4 के रूप में संलग्न है ।
5-	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	बिन्दु संख्या—5 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—5 के रूप में संलग्न है ।

6-	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through foest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05.05.2014 & 19.11.2014.	महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—6 के रूप में संलग्न है।
7-	The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection), 1986, if applicable.	उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक–7 के रूप में संलग्न है।
8-	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	बिन्दु संख्या–8 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़–सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर–राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक–8 के रूप में संलग्न है।
9-	No labour camp shall be established on the forest land.	बिन्दु संख्या—9 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—9 के रूप में संलग्न हैं।
10-	Sufficient firewood, preferable the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department of the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate frul.	बिन्दु संख्या—10 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिंड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—10 के रूप में संलग्न है ।
11-	The boundary of the diverted foret land shall be suitable demarcated on ground at the project cost, As per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	बिन्दु संख्या—11 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—11 के रूप में संलग्न है ।
12-	No. additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the concerned Divisional Forest Officer.	बिन्दु संख्या–12 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़–सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर–राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक–12 के रूप में संलग्न है ।
13-	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	बिन्दु संख्या—13 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्समिशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—13 के रूप में संलग्न है ।
14-	proposal.	बिन्दु संख्या—14 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—14 के रूप में संलग्न हैं।

1	mi rec	
15	CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details.	महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—15 के रूप में संलग्न है ।
16	The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the court orders provision rules regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.	महाप्रबन्धक, पावरग्रिङ अलीगढ़-सींकर ट्रान्सिमशन
17	under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	बिन्दु संख्या—17 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—17 के रूप में संलग्न है ।
18	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF& CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	बिन्दु संख्या—18 के अनुपालन में अवगत कराना है कि याचक विभाग विरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरिग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर— राजस्थान के द्वारा कोई भी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उल्लंघन नहीं किया गया है । यदि उल्लंघन किया जाता है तो याचक विभाग के विरुद्ध दिए गए निर्देशों के कम में कार्यवाही की जायेगी । याचक विभाग विरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरिग्रेड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण—पत्र की जो संलग्नक—18 है ।
19-	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate. From time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	बिन्दु संख्या—19 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—19 के रूप में संलग्न है ।
20-	प्रस्ताव विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षिति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षिति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा	बिन्दु संख्या—20 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—20 के रूप में संलग्न
21-	अवाध के अन्दर तब तक रहगा जब तक कि प्रस्तावक कि उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे । यदि प्रस्तावक कि उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की उ	बिन्दु संख्या—21 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—21 के रूप में संलग्न

22-	अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा	उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—22 के रूप में संलग्न है ।	
23-	प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन०पी०वी० की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाये ।	बिन्दु संख्या—23 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—23 के रूप में संलग्न है । बिन्दु संख्या—24 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—24 के रूप में संलग्न है ।	
24-	भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3 / 2007 एफसी (पीटी) दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या—J-11013/41/2006-IA —II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू हैं तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति / अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग— अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।		
25-	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी / नेशनल पार्क में सिम्मिलित है, तो उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमित प्राप्त करने की कार्यवाही कर लिया जायेगा ।	बिन्दु संख्या—25 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—25 के रूप में संलग्न हैं ।	
26-	समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अनापित्त प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाये ।	बिन्दु संख्या—26 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—26 के रूप में संलग्न है ।	
27-	प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू—स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराया जाये ।	बिन्दु संख्या–27 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक–27 के रूप में संलग्न है ।	
28-	मुख्य वन संरक्ष्क / नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वर्णित प्रकरण से सम्बन्धित उपरोक्त शर्ते / प्रतिबन्धों (Terms & Conditions) के अनुपालन के सम्बन्ध में अपनी सत्यापन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।	बिन्दु संख्या—28 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—28 के रूप में संलग्न है ।	

29- सम्प्रति प्रचलित व्यवस्था के अधीन शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की मु0—5,06,953 / — (रू० पाँच लाख छः हजार नौ सौ तिरपेन मात्र) की धनराशि कैम्पा निधि में चालान जनरेटर कर जमा कराना सुनिश्चित करें तथा जमा चालान की प्रति छः—छः प्रतियों में इस कार्यालय उपलब्ध करावें तथा देयता के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 06.01.2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 19.01.2022 का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

बिन्दु संख्या—29 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—29 के रूप में संलग्न है।

30- उपरोक्त के अतिरिक्त समय—समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा ।

बिन्दु संख्या—30 के अनुपालन में याचक विभाग वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान के द्वारा जो अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्नक—30 के रूप में संलग्न है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार । 31341 तन आफ्ना अस्य त्यार धेन डायन क्रे

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक / 6 7 9 / दिनांकित ।

- 1— प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को संदर्भित पत्रों के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2— प्रतिलिपि वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरग्रिड अलीगढ़—सींकर ट्रान्सिमशन लिमिटेड, अलवर—राजस्थान को उनके पत्र दिनांक 03.10.2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रशागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मधुरा । Divisional Forest Officer, Social Forestry Divisional Mathura

Subject: Compliance Report of Stage-I Approval for Construction of 765 KV D/C Sikar-II
-Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for
evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under
phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in
District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh). with Protected Forest Area of 0.5293
Hect. Online Proposal No. FP/UP/TRANS/146255/2021.

Ref.:

1. RO/Ministry File Number P-168/81-2-2022-800(176)/2022

2. Your letter no. 153/14-1 dated. 12/07/2022

Dear Sir,

This is reference to your letter no. 153/14-1 dated. 12/07/2022 for compliance against Stage-I Approval for Online Proposal No. - FP/UP/TRANS/146255/2021 with Protected Forest Area of 0.5293 Hect. No Trees under 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh).

Our pointwise compliances are stated as detailed below.

S.No.	Condition	Compliance	
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	The legal status of the forest land will be remained unchanged and continues as a forest land even after the diversion. As per provisions of FCA. 1980. Undertaking regarding legal status of the project is attached as Annexure-I .	
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over degraded forest land with 10 years maintenance at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. No fast-growing trees will be planted.	Fund towards Compensatory Afforestation Scheme as prepared by Forest Department, Mathura has already been deposited in CAMPA Fund amount of Rs. 4,62,740/- on dated 08.08.2022 UTR NO: SBIN422220349313 as part of Stage-I forest Clearance compliance. Copy of payment receipt is attached as Annexure-II	
3.	Plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in ROW under Transmission line shall be taken up by Forest Department at the cost of User agency.	Fund towards medicinal plantation as prepared by Forest Department, Mathura has already been deposited in CAMPA Fund amount of Rs. 5,60,560/- on dated 08.08.2022 UTR NO: SBIN422220349313 as part of Stage-I forest Clearance compliance. Copy of payment receipt is attached as Annexure-III	
4.	The complete of FRA 2006 shall be ensured by the way of prescribed from the concerned District Collector.	Certificate No\$10./14	
5.	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.		

क्षेत्रीय वन अधिकारी

कंचन कुमार चौधरी / K. K. Chaudhary सामाणि स्थार

वरि० महाँ प्रबंधक / Sr.-General Manager

		dialon.	
6.	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter No. 7-25/201.2-FC dated 05/05/2014.	We hereby agree to abide by this condition; undertaking for the same is attached as Annexure-VI	
7.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	We hereby agree to abide by this condition, Environmental Clearance shall be obtained, if required. In this regard, undertaking of the same is attached as Annexure-VII We hereby agree to abide by this condition; Any changes in the layout, if any, shall be referred to Central Government. In this regard, undertaking of the same is attached as Annexure-VIII	
8.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.		
9.	No labour camp shall be established on the forest land.	We hereby agree to abide by this condition. In this regard, undertaking of the same is attached as Annexure-IX	
10.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	We hereby agree to abide by this condition. and follow the directions, strictly. Undertaking of the same is attached as Annexure-X	
11.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably 'demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	Agreed, The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. Boundary demarcation undertaking is attached as Annexure-XI.	
12.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	There is no such requirement of creating new paths and no additional or new path will be constructed inside the forest area. Undertaking of the same is attached as Annexure-XII	
13.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.		
14.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	be used for any purpose other than that specified in the project proposal is attached as Annexure-XIV	
15.	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details.		
16.	The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the court orders provision rules regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.	Annexure-XVI.	
17.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred. to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	other agencies, department, or person without prior approval of Govt. of India. Undertaking of the same is attached as Annexure-XVII .	
18.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	far. All the conditions as stipulated shall be complied as per provision of FCA, 1980 (amended thereof), Undertaking of no Violation is given in Appendix Average VIII.	
19.	Any other condition that the Ministry of Environment Forests & Climate Change may stipulate from time to	the Ministry of Environment, Foresis & Children	
	क्षेत्रीय वन अधिकार	2 of 2 Page	

onny

2 of 2 Paris E

time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife is attached as Annexure-XIX.
प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षित नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षित पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।	We hereby agree to abide by this condition. Undertaking of the same is attached as Annexure-XX
उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अविधे के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ० प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।	We hereby agree to abide by this condition. Undertaking of the same is attached as Annexure- XXI
को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।	We hereby agree to abide by this condition. Undertaking of the same is attached as Annexure- XXII
प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0पी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।	We hereby agree to abide by this condition. Undertaking of the same is attached as Annexure- XXIII
भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी (पीटी). दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-II (I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग—अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।	We hereby agree to abide by this condition. Undertaking of the same is attached as Annexure- XXIV
यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी / नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमित प्राप्त करने की कार्यवाही कर लिया जायेगा।	
समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	We hereby agree to abide by this condition. Undertaking of the same is attached as Annexure- XXVI
प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू—स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	We hereby agree to abide by this condition. Undertaking of the same is attached as Annexure- XXVII
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा वर्णित प्रकरण से संबंधित उपरोक्त शर्ते / प्रतिबंधों (Terms & Conditions) के अनुपालन के संबंध में अपनी सत्यापन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।	We hereby agree to abide by this condition. Undertaking of the same is attached as Annexure- XXVIII
	प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षित नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षित पहुंचारी और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षित पहुंचारी है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा। उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अविध के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथारिथित उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उठ प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथारिथित वापस प्राप्त हो जायेगी। वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। प्रयोक्ता अभिकरण को यह चचनबद्धता देनी होगी कि यदि एनठपीठपीठ की धनराशि में इस अविध में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा। पारत सरकार के पत्र संख्या उ-3/2007 एफसी (पीटी). दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या उ-11013/41/2006-IA-II (1), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग—अलग प्राप्त कर लिया जायेगा। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो माठ उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर लिया जायेगा। प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उठप्र लखनऊ द्वारा वर्णित प्रकरण से संबंधित उपरोक्त शर्व में अपनी सत्याप रिपोर्ट

सित्रीय वन अधिकारी क्लेमी

कंचन कुमार चौधरी / K. K. Chaudhary
वरि० महाप्रबंधक / Sr. General Manager
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लि०
Power Grid Aligath Sikar Transmission iddl.
अलवर / Adjustr

•			- > 1 d 1
29.	पी० वी०) की देयता के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 06.01.2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 19. 01.2022 का अनुपालन प्रस्तावक किया जायेगा। Rs.5,06,953/- on 08.08.2022 as proferest Clearance compliance. Pattached as Annexure-XXIX The NPV of the entire area amounting to Rs.5,06,953/- have in CAMPA account as per the fole Total Amount inclusive of (CA+NPV+MEDITIONAL PL. 15,30,253/- On 08.08.2022 UTR NO: SBIN422220349313 Payment receipt attached. DFO, Social Forestry Di		ed in CAMPA Fund. 2022 as part of Stage-I, liance. Payment receipt XXIX ntire area 0.5293 ha. 53/- have been deposited ber the following details: usive of all costs AL PLANTS): Rs. 1022 1349313 1ed. 1estry Divisional,
		Mathura CA Rs. Rs. 4,62,740/-	
		CA Rs.	
		Medicinal Plants	Ks. 5,00,500/-
		Rs.	7 06 0524
		NPV Rs.	Rs. 5,06,953/-
		Grand Total	Rs. 15,30,253/-
30.	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य	We hereby agree to abide by this condition.	
	सरकार/ मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का	Undertaking of the same is attached as	
	अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	Annexure-XXX	

Place: 03/10/2022

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी / K.K. Chaudhary वरि० महा प्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

> रजनीकान्य मिलल प्रभागीय लेख्याक सामाजिक यानिकी प्रभाग

क्षेत्रीय वन अधिकारी कोजी

NEFT INB: CNACBOEXI9 TRANSFER TO



→ FORWARD

Mark as unread



Munish . {मुनीश} Tue 09-Aug-22 4:32 PM

To: SAROJ KUMAR (सरोज कुमार);

TO TRANSFER

08-Aug-22 (08-Aug-2022)

INB NEFT UTR NO: SBIN422220349313 -NEFT INB: CNACBOEXI9 TRANSFER 3199301044303 /

15,30,253.00

99922

TO 3199301044303



दावात्याग : यह ईमेल पावरग्रिड के दावात्याग नियम व शर्तों द्वारा शासित है जिसे http://apps.powergrid.in/Disclaimer.htm पर देखा जा सकता है। Disclaimer: This e-mail is governed by the Disclaimer Terms & Conditions of POWERGRID which may be viewed at http://apps.powergrid.in/Disclaimer.htm

कंचन कुमार चौधरी / K. K. Chaudhary बरि० महा प्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Annexure-I

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

<u>Undertaking Regarding Legal status of the forest land shall</u> <u>remain unchanged.</u>

This is to certify that dring 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh) in Mathura forest Division Legal status of the forest land shall remain unchanged.

नन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary ं महाप्रबंधक / Sr. General Manager गरग्रिड अलीगढ् सीकर ट्रांसमिशन लि० verGrid Aligath Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

सेत्रीय वन अधिकारी कोजी ्रि प्रभावता मिलल प्रभावता भावता प्रभाव सामाजिक भावता प्रभाव

Annexure-II

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking for Compensatory Afforestation cost

This is to certify that dring 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh). Fund towards Compensatory Afforestation Scheme as prepared by Forest Department, Mathura has already been deposited in CAMPA Fund amount of Rs. 4,62,740/- on dated 08.08.2022 UTR NO: SBIN422220349313 as part of Stage-I forest Clearance compliance. Copy of payment receipt is attached.

कंचन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary वरि• महाप्रबंधक / Sr.General Manager पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

प्राप्ती सेत्रीय वन अधिकारी कोची

Annexure-III

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking for Medicinal Plantation cost

This is to certify that dring 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh). Fund towards medicinal plantation as prepared by Forest Department, Mathura has already been deposited in CAMPA Fund amount of Rs. 5,60,560/- on dated 08.08.2022 UTR NO: SBIN422220349313 as part of Stage-I forest Clearance compliance. Copy of payment receipt is attached.

कंचन कुमार चौधरी / K. K. Chaudhary ारि० महा प्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

में प्राथित क्षेत्रीय वन अधिकारी क्षेत्री र अभीकाना मिलल प्रभागीय निदेशक सामाधिक शामिकी प्रभाग प्रमाणीय निदेशक

Annexure-IV

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal : 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking for compliance of FRA 2006

This is to certify that dring 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh), FRA Process is completed and submitted to MoEFCC and attached herewith.

कंचन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary वरिठ महाप्रबंधक / Sr.General Manager पावरग्रिड अलीगढ्सीकर ट्रांसमिशन लिए Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

क्षेत्रीय वर्न अधिकारी कोजी रुप्तवीकाल जिलल प्रमागीय निदेशक सामाजिक वारिकी प्रभाग सामाजिक वारिकी प्रभाग

Annexure-V

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathema & Aligarh (Utton P. 1888).

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking for provision Bird Deflectors

This is to certify that during 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh). The user agency at its own cost shall provide bird deflectors, if required, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.

Name.

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी / K. K. Chaudhary वरि० महा प्रबंधक / Sr. General Manager बावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लि० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

प्रकारि क्षेत्रीय वन अधिकारी कोजी सामा। नक वाति प्रभाग

Annexure-VI

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

<u>Undertaking for Compling guidelines for laying</u> <u>transmission lines through Forest Areas</u>

This is to certify that dring 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh). The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter No. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014.

कंचन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary वरि• महा प्रबंधक / Sr. General Manager पाबरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

cls

प्राथित को अधिकारी कोजी रअनीकोन्त मिलल प्रधानीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग सम्माजिक स्थान

Annexure-VII

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking regarding no Environmental Clearance is required

We hereby agree to abide by this condition that environmental clearance shall be obtained, if applicable, as per the provisions of the Environment (Protection) Act,1986, for 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh).

Office Seal & Signature: Office Seal & Signature:

Designation:कंचन क्मार चौधरी / K. K. Chaudhary

वरि० महा प्रबंधक / Sr. General Manager षावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लि० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd.

अलवर / Alwar

Annexure-VIII

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

No change layout plan without prior approval

This is to certify that dring 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh), that layout plant of the forest proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

कंचन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary ारे• महाप्रबंधक / Sr.General Manager गवरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रासमिशन लि○ PowerGrid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

oley

र्जनीकोन्त प्रभागीय विदेशक सामाजिक बानिकी प्र

क्रोग्वी

Annexure-IX

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking for no labour camp is established on the forest land

This is to certify that dring 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh), No labour camp shall be established on the forest land.

कंबन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary वारेo नहाँ प्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Office Seal & Signature:

Designation:

US

सामाजिया जारिकी प्रभाग

Annexure-X

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking for provision of alternative fuel to the labour

This is to certify that dring 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh), Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

र्मचन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary रि॰ महाप्रबंधक / Sr.General Manager गनरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि॰ Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature: Designation:

signation.

45

क्षेत्रीय वन अधिकारी कोसी रजनीकोना पितल प्रभागित निदेशक सामाजिक बारिको प्रभाग भाषाजिक सम्बद्धाः

Annexure-XI

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking for forest Land boundary demarcation

This is to certify that dring 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh), The boundary of the diverted forest land shall be suitably 'demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

कंबन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary वरि० महा प्रबंधक / Sr. General Manager पाबरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिं० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature: **Designation:**

Annexure-XII

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking for no additional or new path

This is to certify that dring 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh), there will be no additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

कंबन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary वरिठ महाप्रबंधक / Sr.General Manager पाबरग्रिड अलीगद सीकर ट्रांसमिशन लिठ Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature: Designation:

15

क्षेत्रीय वर्ग अधिकारी

इसमिकान्त मिलल प्रभागित निदंशक सामानिक आधिकी प्रभाग समानिक संदुर्ग

Annexure-XIII

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking for forest diversion period

This is to certify that dring 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh), the period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

कंचन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary वरि० महाप्रबंधक / Sr.General Manager पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

सामाजिक वानिकी प्रभाग

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

भागीर क्षेत्रीय वन अधिकारी कोसी

Annexure-XIV

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking for use of forest land for specified in the projet proposal only

This is to certify that dring 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh), the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

> कंचन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary वरिo महा प्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिं० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Office Seal & Signature:

Designation

Annexure-XV

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

<u>Undertaking for uploading KML file of</u> Forest/CA/SMC/Catchment/WLMP area on e-Green watch portal

This is to certify that the KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details.

कंचन कुमार चौधरी / K. K. Chaudhary वरि० महाप्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ्सीकर ट्रांसिमशन लि० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature: Designation:

cls

भेत्रीय वन अधिकारी

Annexure-XVI

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking for compliance of all the court orders provision rules regulations and guidelines

This is to certify that the User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the court orders provision rules regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.

कंचन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary वरिठ महाप्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिंगन लिठ Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature: Designation:

(1)

य वन अधिकारी

Annexure-XVII

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking for proposed forest land not transferred to any other agencies

This is to certify that the forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred. to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

कंचन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary ारे॰ महाप्रबंधक / Sr.General Manager गवरग्रिड अलीगढ्सीकर ट्रांसमिशन लि॰ 'owerGrid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature: Designation:

9

पीर्णा क्षेत्रीय वन अधिकार्र कोगी रजनीकान मिताल प्रभागीत निरंगक सामाजिक क्रानको प्रभाग अञ्चरा

Annexure-XVIII

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking for no Violation

This is to certify that dring 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh) , all the condition as stipulated shall be complied. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

> कंचन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary बरिठ महाँ प्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ सीकर टांसमिशन लिं० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature: **Designation:**

अधिकारी

Annexure-XIX

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking for any other condition.

This is to certify that dring 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line (Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh), any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

> कंचन कुमार चौधरी / K.K. Chaudhary वरि॰ महाप्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिं Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Annexure-XX

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking for no damaged flora and fauna.

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षिति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षिति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

कंचन कुमार चौधरी / K. K. Chaudhary ारे **ग**हा प्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि० Power Grid Aligath Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature: Designation:

diril

क्षेत्रीय स्थितिहारी

रजिले काला जिलले प्रभागीय निदेशक सामाजिक बलिको प्रभाग सामाजिक बलिको प्रभाग

Annexure-XXI

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ० प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

> कंबन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary वरिo महा प्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिं० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Office Seal & Signature:

Designed:

Annexure-XXII

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग के अधिकारी / कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

कंचन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary वरि० महाप्रबंधक / Sr.General Manager पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि० Power Grid Aligath Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

में प्रीय वर्ग अधिकारी कोसी रजनीदर्शन्त विक्रात

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathema 8. Alice of Clark B.

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking

प्रमाणित किया जाता है कि यदि एन०पी०पी० की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

> वाधरी / K. K. Chaudhary अधर्म / Sr. General Manager अविमाह सीकर द्वासामेशन लि० ann Sikar Transmission Ltd.

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

प्राप्तीति क्षेत्रीय वन अधिकारी कोमी

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी (पीटी). दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-II (I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा एवं यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग—अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।

कंचन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary वरि० महाप्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

सामाजिक संस्थित सामाजिक जीविकाल

 $\sqrt{}$

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमित प्राप्त करने की कार्यवाही कर लिया जायेगा।

> हंचन कुषार चौधरी / K.K.Chaudhary ेरेठ महाप्रबंधक / Sr. General Manager ानरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिठ Tower Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature: Designation:

re:

भूधी क्षेत्रीय वन अधिकारी कोची CONTRACT FACTOR

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking

प्रमाणित किया जाता है कि समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

> कंचन कुमार चौधरी / K.K.Chaudhary वरिक महाप्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ्सीकर ट्रांसमिशन लिठ Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature: Designation:

बोत्रीय वन अधिकारी कोजी White the state of the state of

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू—स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जावेगा।

> कंचन कुमार चौधरी / K. K. Chaudhary बरि• महा प्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature: Designation:

ds

भेत्रीय वन अधिकारी कोजी THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

XXVIII

Full title of the Project: "765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03)

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking

प्रमाणित किया जाता है कि मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ०प्र0 लखनऊ द्वारा वर्णित प्रकरण से संबंधित उपरोक्त शर्ते / प्रतिबंधों (Terms & Conditions) के अनुपालन के संबंध में अपनी सत्यापन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

> कंचन कुमार चौधरी / K. K. Chaudhary वरि० महाप्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name.

Office Seal & Signature: Designation:

. 10

मार्गी कोजीय वन अधिकारी कोजी TOTAL SEPTIMENT DOWN

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathema & Alice by (West Park and Carlot)

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मथुरा में सीकर—II अलीगढ़ ट्रांसिमशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) अलवर—राजस्थान के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर—II अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाईन के निर्माण हेतु 0. 5293 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। जनपद मथुरा में प्रभावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू. 5,06,953/— (पाँच लाख छः हजार नौ सौ तिरेपन मात्र) दिनांक 08.08.2022 को जिरये ई—चालान कैम्पा फण्ड नई दिल्ली में जमा करा दिये गये हैं।

कंचन कुमार चौधरी / K. K. Chaudhary वरि० महा प्रबंधक / Sr. General Manager पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि० Power Grid Aligarh Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

भूपारी वर्न आधेकारा कोमी TOTAL STATES AND THE PARTY AND

Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in

District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)

Proposal No.

: FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal: 25-08-2021

Diversion Area: 0.5293Ha.

Undertaking

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय—समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

> कंचन कुगार चौधरी / K.K.Chaudhary ारे० नहाप्रबंधक / Sr.General Manager पानरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि० Power Grid Aligath Sikar Transmission Ltd. अलवर / Alwar

Name:

Office Seal & Signature: Designation:

क्षेत्रीय वन अधिकारी कोजी

FORM-1

[Rule-6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh

Office of District Collector Mathura

No. 5/0 / 144

Dated 29/07/2022

TO WHOM SO EVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule-6(3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; an Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that **0.5293 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of SIKAR -II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED.(Name of user agency) for Construction of 765 KV D/C Sikar-II - Aligarh Transmission line(Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (purpose for diversion of forest land) in the district falls within the jurisdiction of Sheikhsai village (s) in Chhata tehsils having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

- a) The Protected Forest (s) namely Hathras-Mathura Road involved in the above villages are plantations raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification no (s) 1194/14-339-50 dated 10.02.1960
- b) Therefore, these PFs neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (residing in the PFs for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

Social Welfare Officer

Mathura.

Divisional Director Social Forestry Division,

Mathura

क्रुपानाच निस्मिक क्रिके जिल्ली (जिल्ली क्युश District Magistrate,

Mathura.

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता, अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा।

प्रेषित,

श्री देवेश कुमार सिंह, मुख्य प्रबन्धक, टी०एल०सी०, पावर ग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड, पलवल (हरियाणा) ।

पत्रांक : 1402

/अपर / एन0ओ0सी0 /

दिनांक : 18 . 5. 22

विषय : Appeal for Issuance of NOC for crossing of Upper Agra Canal for the Construction of 765KV D/C Aligarh Sikar Transmission Line

सन्दर्भ : आपका प्रार्थना पत्र सं0 NR1/PASTL/TW03/Canal crossing, दिनांक 04.05.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता पंचम, अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा के पत्र सं0 97 / ए०ई०—पंचम, दिनांक 12.05.2022 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर 765 के०वी० डी / सी अलीगढ़ पावर ग्रिड सब स्टेशन की लाइन आगरा नहर के मील—49 के पास से आगरा नहर को क्रांस करने की अनुमित निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है—

- 01. जहां कहीं विद्युत पोल नहर को क्रॉस कर रहे हो, वहां पर विद्युत लाईन के नीचे सेफ्टी नैट का आवश्यक रूप से प्राविधान किया जायें ।
- 02. किसी भी प्रकार की विद्युत दुर्घटना की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही आपके द्वारा करते हुए देय मुआवजा आपके द्वारा ही दिया जायेगा।
- 03. कार्य स्थल की नहरी संरचना में आपके द्वारा प्रस्तावित कार्य को वास्तविक स्थिति के अनुसार यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक होने पर कार्य कराने से पूर्व विभाग से सकारण अनुमित प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 04. कार्य करते समय नहर के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
- 05. नहर की सीमा में आ रहे वृक्षों को नहीं काटा जायेगा ।
- 06. नहर एवं नहर पर निर्मित पुल/पुलियाओं को किसी भी प्रकार की क्षिति नहीं पहुचायी जायेगी। यदि नहर के सैक्शन/पटरी/पक्की संरचनाओं को क्षिति पहुचती है, तो उसे ठीक कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- 07. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग के सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर या सहायक अभियन्ता को लिखित में सूचित किया जाना आवश्यक होगा। कार्य इस खण्ड के सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर या सहायक अभियन्ता की देख—रेख में सम्पादित कराया जायेगा।
- 08. भविष्य में यदि विभाग द्वारा नहर को चौड़ा / पुर्नरूद्वार आदि कार्य कराने पर ट्रान्सिमशन लाइन की ऊचाई व चौड़ाई को आपके स्तर से शिफ्ट किया जाना होगा जिसपर होने वाला व्यय को आपके द्वारा वहन किया जायेगा।
- 09. यह अनुमित केवल विषयक कार्य हेतु ही निर्मत की जा रही है। उपर्युक्त प्रतिबन्धों के विचलन किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इससे उत्पन्न किसी भी विषम परिस्थिति / जटिलता के लिए आप स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

अधिशासी अमियन्ता अभर खण्ड आगरा नहर मथुरा

पत्रांक : /अपर/एन0ओ0सी0/दिनांक :

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय, चतुर्थ व पंचम, अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त कार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों के अन्तर्गत अपनी देख—रेख में करवाया जाना सुनिश्चित करें।

> अधिशासी अभियन्ता अपर खण्ड आगरा नहर, मधूरा

4021-1

Online payment history made by User Agency under CAMPA



Sno.	Proposal Detail		Date of IN- PRINCIPLE				Payment Status	Payment Detail		Demand Letter	
	FP/UP/TRANS/14625S/2021 ("Jviewreport.aspx? pid=FP/UP/TRANS/14625S/2021) Construction of 765 KV D/C Sikar-III-Aligath Transmission line(Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tarif based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)		24 Jun 2022	CA: PCA: Safety Zone:	0/-, 0/-, 506953/- 1 0/-	Addl PA : Medicina ' Plant :	0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	:15 Jul 2022 Union Bank Of India NEFT/RTGS (Challan) :15 Jul 2022	Generated Challan (,/UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=TRANS1462552021937)




BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)




Power To Empower (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)







(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)

(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCIDK, Chaudhary NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in General Manager सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लि० Sikar-II-Aligarh Transmission Ltd. अलवर / Alwar